झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ0 एफ0 पी0 भवन धुर्वा, राँची।

पत्रांकः– परि०आ०–241/2019 616 **/ राँची, दिनांकः–** 25.02.2020

प्रेषक,

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड ।

विषयः– प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना/नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना/नवीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का निष्पादन Online स्तर से किया जाना है। ज्ञात हो कि प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना/नवीकरण हेतु VAHAN-4से Online माध्यम से आवेदन समर्पित किया जाना है तथा जाँच प्रतिवेदन भी Online माध्यम से ही प्रेषित किये जाने का प्रावधान किया जा चुका है। आवेदकों द्वारा प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना हेतु विहित शुल्क Online भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में आपके कार्यालय के संबंधित कम्प्यूटर ऑप्रेटर को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

अतः उक्त के आलोक में आप सभी को निदेशित किया जाता है कि दिनांक–25.02.2020 के पश्चात प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना/नवीकरण हेतु आवेदन जाँच प्रतिवेदन सहित Online Portal के माध्यम से ही भेजना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी परिस्थिति में Offline माध्यम से प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जयेगा तथा आवेदन एवं जाँच प्रतिवदेन को विभागीय e-mail पर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कृपया उपरोक्त आदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–परि०आ०–241/2019 616 **/ राँची, दिनांकः–** 25.02.2020

प्रतिलिपि–PMU, परिवहन विभाग, राँची को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची